भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न

बौद्धिक
संपदा भारत

आईटी कार्यालय,
बौद्धिक संपदा भवन,
प्लॉट नं. 32, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली–110078

ईमेल: support.ipo@gov.in
वेबसाइट: www.ipindia.nic.in
दूरभाष संख्या:
01125300304

“वित्त प्रबंधन मॉड्यूल का विकास एवं रखरखाव”
के लिए
निविदा दस्तावेज़

स्थान:
आईटी कार्यालय, बौद्धिक संपदा कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली

सं. ....

1. बोली हेतु अनुरोध :

भारत के राष्ट्रपति की ओर से महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न द्वारा आईटी कार्यालय, बौद्धिक संपदा कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में **वित्त प्रबंधन मॉड्यूल के विकास एवं रखरखाव** के लिए दो-बोली प्रणाली—**पूर्व-बोली अर्हता, तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली**—के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

प्रस्तावित प्रणाली **एकीकृत केंद्रीकृत वित्त, बजट आवंटन एवं व्यय प्रबंधन** के लिए एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराएगी। यह समाधान आवश्यकतानुसार विस्ता योग्य (स्केलेबल), सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल, GIGW 3.0 के अनुरूप और MeitY द्वारा सूचीबद्ध/एम्पैनल्ड क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर होस्टेड होना चाहिए।

सभी प्रतिष्ठित, अनुभवी और वित्तीय रूप से सक्षम एजेंसियों/पार्टियों को बोली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक एजेंसियों को आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रारूपों के साथ अपनी बोली GeM पोर्टल (www.gem.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी।

केवल वे बोलीदाता जिनको पूर्व-योग्यता में योग्य घोषित किया जाएगा, उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी। वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि एवं समय GeM पोर्टल (www.gem.gov.in) पर अलग से सूचित किया जाएगा। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न यथापेक्षित अतिरिक्त स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ की मांग कर सकता है।

GEM बोली सं.	विवरण	अनुमानित बोली मूल्य (रुपए में)	EMD (रुपए में)
	नई दिल्ली स्थित आईटी कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहे बौद्धिक संपदा कार्यालय में **"वित्त प्रबंधन मॉड्यूल का विकास एवं रखरखाव"**	99,12,000/-	₹3.5 लाख की बैंक गारंटी, निर्धारित प्रारूप में GeM पोर्टल पर *

इस बोली (बिड) से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट www.gem.gov.in पर उपलब्ध है। इस बोली से संबंधित कोई भी बदलाव/संशोधन/सुधार केवल वेबसाइट के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। इसलिए, संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अद्यतित जानकारी के लिए नियमित रूप से ऊपर बताई गई वेबसाइट देखते रहें। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न किसी भी व्यक्ति को अलग से जानकारी भेजने या सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन बोली जमा करने से पहले, बोलीदाता को GeM पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली जमा करने के अनुदेश अवश्य देख लेना चाहिए।

2. इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोली जमा करना

1. बोली का विवरण

क. प्राधिकरण का नाम एवं पता

आईटी कार्यालय, बौद्धिक संपदा भवन, द्वारका, नई दिल्ली–110078

ख. बोली की लागत

क. बोली शुल्क:

दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध है और कार्यालय द्वारा इसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अतः भारत सरकार की खरीद नीति के निदेशानुसार विभाग द्वारा कोई बोली शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ख. बयाना राशि (EMD):

बोलीदाता को पूर्व-योग्यता बोली के साथ ₹3,50,000/- की वैध बैंक गारंटी अपलोड करनी होगी। EMD जमा न करने पर बोली को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

MSE एवं Startup छूट: भारत सरकार द्वारा पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSE) तथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त Startup को EMD से छूट दी गई है। इसके लिए वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र या DPIIT Startup Recognition Certificate अपलोड करना होगा।

ग. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट:

सफल बोलीदाता को कुल बोली राशि का 5% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना होगा। यह राष्ट्रीयकृत बैंक या भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक की बैंक गारंटी/फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के रूप में होगा और इसकी वैधता अनुबंध समाप्त होने के कम से कम 6 महीने बाद तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी पुरस्कार मिलने के **15 दिनों के भीतर** जमा करनी होगी। यदि अनुबंध विस्तारित होता है, तो PSD की अवधि भी अनुबंध समाप्त होने की तारीख के बाद 6 महीने तक बढ़ाई जाएगी। सफल बोली लगाने वाले (बिडर) द्वारा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के बाद, संबंधित PSD जारी कर दी जाएगी।

घ. बोली की वैधता:

बोली वित्तीय बोली खोलने की तारीख से कम से कम 90 दिनों तक वैध रहनी चाहिए। हालांकि, महानियंत्रक कार्यालय को किसी भी चरण में बिना कारण बताए बोली को रद्द, संशोधित या वापस लेने का अधिकार है।

ङ. तकनीकी बोली पर अंकन:

i. इस बोली के लिए तकनीकी विनिर्देश एवं कार्यक्षेत्र संबंधित दस्तावेज़ में दिए गए हैं। बोलीदाताओं को विनिर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा तथा बोली दस्तावेज़ में दिए गए निर्धारित प्रारूप में सहायक दस्तावेज़ों के साथ तकनीकी बोली प्रस्तुत करनी होगी।

ii. तकनीकी बोली केवल .pdf प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल अर्थात **GeM** के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोली की कागजी प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाएगी।

iii. सभी तकनीकी बोलियों के प्रत्येक पृष्ठ पर "Technical Bid" शीर्षक तथा पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए। PDF बनाने से पहले प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर होने चाहिए। दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

iv. तकनीकी बोली में बोली दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सभी तकनीकी विवरणों के साथ कैटलॉग/ब्रोशर तथा अन्य तकनीकी नियम एवं शर्तें शामिल होनी चाहिए।

च. वित्तीय बोली पर अंकन:

वित्तीय बोलियाँ GeM पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार करके केवल GeM के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। वित्तीय बोली की कागजी अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि तकनीकी बोली के दस्तावेज़ों में वित्तीय दर या उसका कोई संदर्भ पाया जाता है, तो बोलीदाता को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

छ. बोली पर हस्ताक्षर : यदि बोली में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, अथवा बोली की अनुसूची में मांगे गए विवरण एवं दिनांक (यदि कोई हो) पूर्ण रूप से नहीं भरे गए हैं या विधिवत हस्ताक्षर/प्रमाणित नहीं किए गए हैं, तो बोली अस्वीकार की जा सकती है। बोली के प्रत्येक आवश्यक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर तथा आधिकारिक मुहर होना अनिवार्य है। यदि आवेदन किसी साझेदारी फर्म द्वारा किया जाता है, तो उस पर फर्म के सभी साझेदारों द्वारा उनके पूर्ण टंकित नाम एवं पदनाम के ऊपर हस्ताक्षर (मुहर सहित) किए जाने चाहिए।

या

वैकल्पिक रूप से, फर्म की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला कोई साझेदार आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है। ऐसी स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। साझेदारी विलेख की प्रमाणित प्रति तथा फर्म के सभी साझेदारों के वर्तमान पते भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने होंगे। यदि आवेदन किसी लिमिटेड कंपनी या निगम द्वारा किया जाता है, तो आवेदन पर बोर्ड द्वारा प्रदत्त पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले विधिवत अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसी स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। ऐसी लिमिटेड कंपनी या निगम को अपने अस्तित्व एवं संचालन का संतोषजनक प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की विधिवत सत्यापित प्रति, नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित करके, प्रस्तुत करनी होगी।

ज. प्रस्ताव कितनी अवधि तक खुला रहेगा:

बोली खोलने की तारीख से **90 दिनों** तक वह बोली स्वीकृति एवं वैधता के लिए खुली रहेगी। हालांकि, यदि जिस दिन तक प्रस्ताव खुला रहना है वह दिन भारत सरकार द्वारा घोषित अवकाश है, तो प्रस्ताव अगले कार्य दिवस तक स्वीकृति के लिए खुला रहेगा।

झ. नियम एवं शर्तें:

क) पोर्टल के विकास एवं उसके क्रियान्वयन के दौरान यदि कोई बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) उत्पन्न होता है, तो उसके सभी अधिकार महानियंत्रक कार्यालय के स्वामित्व में रहेंगे।

ख) सेवा प्रदाता/विक्रेता को पोर्टल के विकास, कार्यान्वयन, संचालन, रखरखाव एवं प्रवर्तन के दौरान उपयोगकर्ताओं तथा महानियंत्रक कार्यालय से संबंधित सभी डेटा, सूचनाओं, अभिलेखों, दस्तावेज़ों एवं सामग्रियों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखनी होगी। विक्रेता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। महानियंत्रक कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सेवा प्रदाता/विक्रेता ऐसी किसी भी सूचना को किसी तीसरे पक्ष को प्रकट, प्रकाशित, हस्तांतरित या उपलब्ध नहीं कराएगा। अनुबंध की अवधि समाप्त होने अथवा अनुबंध समाप्त किए जाने पर सभी डेटा, दस्तावेज़, स्रोत सामग्री तथा संबंधित सूचनाएं पूर्ण रूप से महानियंत्रक कार्यालय को सौंप देनी होगी और सेवा प्रदाता/विक्रेता किसी भी रूप में उनकी कोई प्रति अपने पास नहीं रखेगा।

ग) इस दस्तावेज़ में दिए गए किसी भी निर्देश का पालन न करने अथवा अनुपालन न करने के संबंध में असंतोषजनक स्पष्टीकरण देने पर बोली/प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है।

ञ. स्वीकृति का अधिकार :

आईटी कार्यालय, बौद्धिक संपदा भवन, द्वारका, नई दिल्ली- 110078 को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए बोली को पूर्णतः या उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकता है अथवा बोली को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकता है।

ट. स्वीकृति की सूचना:

सूचना एवं स्वीकृति पत्र केवल GeM पोर्टल के माध्यम से सफल बोलीदाता को भेजा जाएगा।

ठ. अनुबंध की अवधि:

प्रारंभ में अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। संतोषजनक कार्य-निष्पादन तथा कार्यालय प्रमुख/ कंसाइनी/ समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्य को एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम दो अतिरिक्त वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, कार्यालय प्रमुख/इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा सेवा प्रदाता के कार्य-निष्पादन की कड़ाई से निगरानी की जाएगी। यदि प्रदान की गई सेवाएं अनुबंध के अनुरूप अथवा अपेक्षित स्तर की नहीं पाई जाती हैं, तो कार्यालय द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

ड. बोलीदाताओं को सूचना:

संभावित बोलीदाताओं की तकनीकी या वित्तीय बोली के चयन एवं अस्वीकृति सहित सभी सूचनाएं केवल GeM पोर्टल के माध्यम से, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 173(iv) के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

ढ. अनुबंध की शर्तें:

बोलीदाता को बोली आमंत्रण तथा बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों के आधार पर अपनी दर/बोली प्रस्तुत करनी होगी।

ण. बोलीदाता द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़:

बोलीदाता को नाम, निगमन प्रमाणपत्र, बैंक का पूरा पता और उनका स्विफ्ट कोड तथा पैन नंबर एवं GSTIN नंबर बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।

त. अधिकार क्षेत्र:

सफल आवेदक और महानियंत्रक कार्यालय के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को पहले आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा। यदि विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नियुक्त मध्यस्थ को भेजा जाएगा। मध्यस्थ की नियुक्ति महानियंत्रक कार्यालय द्वारा की जाएगी। वैकल्पिक रूप से, ऐसे विवाद दिल्ली स्थित न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

थ. अप्रत्याशित घटना / फोर्स मेज्योर:

इस अनुबंध के उद्देश्य से फोर्स मेज्योर का अर्थ ऐसी घटना से है जो अप्रत्याशित हो, पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर हो तथा जिसमें पक्षकारों की कोई गलती या लापरवाही शामिल न हो। ऐसी घटनाओं में सरकार/भारत सरकार द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए गए कार्य, युद्ध, गृह युद्ध, विद्रोह, दंगे, क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, वैश्विक महामारी, क्वारंटीन, प्रतिबंध, माल ढुलाई संबंधी प्रतिबंध, प्रतिबंधात्मक व्यापार आदेश, रेडियोधर्मिता, भूकंप अथवा कोई अन्य दैवीय आपदा शामिल हो सकती है। यदि फोर्स मेज्योर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सफल बोलीदाता को ऐसी स्थिति एवं उसके कारण की सूचना घटना घटित होने के 7 (सात) दिनों के भीतर महानियंत्रक कार्यालय को लिखित रूप में देनी होगी। जब तक लिखित रूप में अन्यथा निर्देश न दिया जाए, सफल बोलीदाता को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का यथासंभव व्यावहारिक रूप से पालन जारी रखना होगा तथा फोर्स मेज्योर की घटना से प्रभावित न होने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों का प्रयास करना होगा। यदि फोर्स मेज्योर के किसी कारण से इस अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व का पूर्ण या आंशिक निष्पादन 60 (साठ) दिनों से अधिक अवधि तक बाधित या विलंबित रहता है, तो महानियंत्रक कार्यालय को बिना किसी पक्ष पर वित्तीय दायित्व डाले अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

द. गोपनीयता:

महानियंत्रक कार्यालय की कोई भी गोपनीय या कॉपीराइट-संरक्षित सामग्री अथवा उसका कोई भाग तथा उसकी सभी प्रतियां, मांग किए जाने पर महानियंत्रक कार्यालय को वापस करनी होंगी। बोलीदाताओं को सूचना इस शर्त पर उपलब्ध कराई जा सकती है कि महानियंत्रक कार्यालय की पूर्व लिखित सहमति के बिना उसका कोई भी भाग अथवा उससे संबंधित कोई सूचना किसी अन्य व्यक्ति को कॉपी, प्रदर्शित या उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। हालांकि, आवेदक केवल अपने संभावित उप-ठेकेदारों को उनसे प्रस्ताव प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से विनिर्देश दिखा सकते हैं। प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अन्य प्रावधानों के बावजूद, आवेदक इस अनुच्छेद की शर्तों से बाध्य रहेंगे, चाहे वे प्रस्ताव प्रस्तुत करें या किसी अन्य रूप में इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध का उत्तर दें।

3. शेड्यूल और महत्वपूर्ण तारीखें:

क्रम सं.	मानदंड	तारीखें
1	बोली प्रकाशित होने की तारीख	
2	प्री-बिड मीटिंग* (मीटिंग लिंक)	बोली प्रकाशित होने की तारीख के 5-7 दिन बाद (हमारी वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी)
3	बोली बंद होने की तारीख	बोली प्रकाशित होने की तारीख से 21 दिन बाद
4	प्री-क्वालिफिकेशन बिड खोलने की तारीख	बोली बंद होने की तारीख को

** इस RFP से जुड़े मुद्दों पर बोली लगाने वालों के संदेहों को दूर करने के लिए, ऊपर बताई गई तारीख और समय पर एक ऑनलाइन प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी। सभी बोली लगाने वालों के सवाल लिखित रूप में, प्री-बिड मीटिंग की तारीख से 24 घंटे पहले ऊपर बताए गए ईमेल पते (support.ipo@gov.in) पर पहुँच जाने चाहिए। ध्यान दें कि प्री-बिड मीटिंग के बाद किसी भी बोली लगाने वाले के सवालों पर विचार नहीं किया जाएगा। सवालों के जवाब प्री-बिड मीटिंग में दिए जाएँगे। प्री-बिड मीटिंग में केवल बोली लगाने वालों के अधिकृत प्रतिनिधि ही शामिल हो सकेंगे।*

ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया या GeM पोर्टल (www.gem.gov.in) से जुड़े किसी भी सवाल के लिए, बोली लगाने वाले GeM पोर्टल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। अन्य तकनीकी समस्याओं के लिए, बोली लगाने वाले IT ऑफिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, द्वारका, नई दिल्ली-110078 से संपर्क कर सकते हैं; टेलीफ़ोन नंबर: 01125300304

4. योग्यता के मानदंड

i. बोलीदाता द्वारा पिछले पाँच (05) वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल और/या समान सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के विकास, कार्यान्वयन, संचालन, रखरखाव एवं सहायता से संबंधित कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया होना चाहिए।

ii. बोलीदाता पात्रता मानदंडों के समर्थन में इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। केवल निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को ही तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

iii. गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (QCBS) पद्धति के अंतर्गत उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

iv. बोलीदाता को यह ध्यान रखना होगा कि बोली के साथ कोई भी शर्त, विचलन, धारणा, योग्यता, आरक्षण या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। सशर्त बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

v. तकनीकी मूल्यांकन में किसी बोलीदाता का योग्य पाया जाना, उसे अनुबंध प्रदान किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

vi. महानियंत्रक कार्यालय को निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/दावों, अनुभव, तकनीकी क्षमता एवं दस्तावेजों का सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है। महानियंत्रक कार्यालय द्वारा आवश्यक होने पर बोलीदाता को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

4A निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपात्रता:

निम्नलिखित बोलीदाता इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे:

1. ऐसी कोई भी संस्था, जिसमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह शामिल हो, जिसे केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी सांविधिक प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा, जैसा भी मामला हो, किसी परियोजना में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया हो और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को ऐसा प्रतिबंध प्रभावी हो, वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगी।

2. आवेदक ने पिछले 3 (तीन) वर्षों के दौरान— (क) किसी समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता नहीं की हो, जैसा कि आवेदक अथवा उसके सहयोगी के विरुद्ध किसी मध्यस्थीय अथवा न्यायिक प्राधिकरण द्वारा दंड लगाए जाने, न्यायिक निर्णय अथवा मध्यस्थता अवार्ड द्वारा प्रमाणित हो; अथवा (ख) किसी परियोजना अथवा समझौते से निष्कासित नहीं किया गया हो, जो मामला न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो; अथवा (ग) ऐसे आवेदक अथवा उसके सहयोगी द्वारा समझौते के उल्लंघन के कारण किसी समझौते को समाप्त न किया गया हो, जो मामला न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो; अथवा (घ) किसी परियोजना अथवा समझौते से निष्कासित न किया गया हो, जो मामला न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो; अथवा (ङ) ऐसे आवेदक अथवा उसके सहयोगी द्वारा समझौते के उल्लंघन के कारण किसी समझौते को समाप्त न किया गया हो, जो मामला न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो। सभी ब्लैकलिस्टेड (काली सूची में डाली गई) अथवा डिबार (प्रतिबंधित) एजेंसियां स्वतः ही अपात्र मानी जाएंगी।

3. कोई भी बोलीदाता यदि गलत जानकारी प्रस्तुत करता है अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है, तो उसकी बोली अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी। यह कार्रवाई महानियंत्रक कार्यालय द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगी।

4. अपात्रता के संबंध में महानियंत्रक कार्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. बोलीदाता की पात्रता संबंधी मानदंड:

तकनीकी क्षमता : पूर्व-योग्यता बोली में निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को वित्तीय मूल्यांकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

(क) पूर्व-योग्यता मानदंड:

निम्नलिखित सभी पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। बोलीदाता को सभी सहायक दस्तावेज GeM पोर्टल पर "Pre-Qualification Documents" शीर्षक वाले फोल्डर में अपलोड करने होंगे।

क्र. सं.	पूर्व-योग्यता मानदंड	सहायक दस्तावेज
1	बोलीदाता भारतीय मूल का/भारत में पंजीकृत निकाय होना चाहिए। बोलीदाता भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी अथवा लागू कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारी फर्म/LLP होना चाहिए तथा GST प्राधिकरण के साथ पंजीकृत और वैध PAN संख्या धारक होना चाहिए।	निगमन प्रमाण-पत्र, GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र, PAN कार्ड की प्रति तथा अनुलग्नक-II (Annexure-II) के अनुसार घोषणा।
2	बोलीदाता का पिछले 3 वित्तीय वर्षों (FY 2022-23, FY 2023-24 एवं FY 2024-25) के दौरान सॉफ्टवेयर/मॉड्यूल विकास से संबंधित कार्यों में औसत वार्षिक कारोबार कम से कम ₹25 लाख होना चाहिए तथा पिछले तीनों वित्तीय वर्षों में सकारात्मक सकल संपत्ति होनी चाहिए।	FY 2022-23, FY 2023-24 एवं FY 2024-25 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें कारोबार (टर्नओवर) का प्रमाण-पत्र शामिल हो।
3	बोलीदाता को पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान तथा बोली प्रस्तुत करने की तिथि को किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU/स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों के लिए ब्लैकलिस्ट/डिबार (प्रतिबंधित) नहीं किया गया होना चाहिए।	कंपनी के लेटरहेड पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त स्व-घोषणा-पत्र

क्र. सं.	पूर्व-योग्यता मानदंड	सहायक दस्तावेज
4	बोलीदाता के पास सरकारी/PSU संगठनों के लिए वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल और/या समान कार्य वाली परियोजनाओं की आपूर्ति/विकास एवं रखरखाव का अनुभव होना चाहिए। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान निम्न में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए: एक अनुबंध जिसकी कीमत बोली मूल्य की 80% हो; या दो अनुबंध, प्रत्येक बोली मूल्य के 50% के; या तीन अनुबंध, प्रत्येक बोली मूल्य के 40% के।	क्रय आदेश/अनुबंध/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र /ग्राहक द्वारा जारी संतोषजनक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट की प्रति, जो बोलीदाता द्वारा विधिवत सत्यापित हो।
5	बोलीदाता के पास वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल के विकास एवं रखरखाव और/या सरकारी/PSU क्षेत्र में समान परियोजनाओं के संचालन का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।	कम से कम पाँच समान परियोजनाओं का विवरण, जिसमें कार्य पूर्णता संबंधी प्रमाण/प्रशंसापत्र तथा परियोजना लागत का विवरण शामिल हो।
6	बोलीदाता के पास एप्लिकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, API इंटीग्रेशन तथा UI/UX विकास में अनुभव रखने वाले कम से कम 30 योग्य IT प्रोफेशनल्स होने चाहिए।	प्रस्तावित टीम के सदस्यों के बायोडाटा
7	बोलीदाता के पास न्यूनतम CMMI Level-3 या उससे उच्च स्तर का प्रमाणन होना चाहिए, जो CMMI Institute द्वारा जारी किया गया हो तथा जिसमें Appraisal ID उपलब्ध हो। साथ ही, बोलीदाता के पास ISO 9001:2015 एवं ISO 27001:2022 प्रमाणन होना चाहिए।	वैध प्रमाण-पत्रों की प्रतियां।
8	बोलीदाता के पास MeitY द्वारा सूचीबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाता (CSP) से वैध प्राधिकरण होना चाहिए अथवा बोलीदाता स्वयं MeitY द्वारा सूचीबद्ध CSP होना चाहिए।	CSP प्राधिकरण प्रमाण-पत्र तथा MeitY द्वारा सूचीबद्ध होने का प्रमाण।
9	पिछले लगातार 5 ऑडिट किए गए वित्तीय वर्षों (FY 2020-21 से FY 2024-25) के दौरान बोलीदाता को दो से अधिक वर्षों में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए अर्थात् कर पश्चात लाभ संबंधित वर्षों में सकारात्मक होना चाहिए।	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित ऑडिटेड लाभ एवं हानि विवरण/बैलेंस शीट/वार्षिक रिपोर्ट।
10	निविदा के नियम एवं शर्तों की समझ एवं स्वीकृति।	विधिवत भरे हुए, हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त निविदा दस्तावेज।

क्र. सं.	पूर्व-योग्यता मानदंड	सहायक दस्तावेज
11	₹3.5 लाख की EMD जमा करना अथवा, यदि लागू हो, तो वैध EMD छूट संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना।	GeM पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी।
12	न्यूनतम 20% स्थानीय सामग्री के साथ भारत में निर्मित संबंधी अनुपालन प्रमाण-पत्र।	OEM द्वारा जारी भारत में निर्मित प्रमाण-पत्र।
13	निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-IV एवं अनुलग्नक-V को विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना।	विधिवत भरे हुए, हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त अनुलग्नक-IV एवं अनुलग्नक-V।

टिप्पणी :

Ø *समान कार्य से आशय भारत सरकार/राज्य सरकार/PSU के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों, ERP प्रणालियों, बजट प्रबंधन प्रणालियों, कार्य-प्रवाह स्वचालन प्रणालियों, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों, एंटरप्राइज अनुप्रयोगों, लेखा प्रणालियों, डैशबोर्ड, वेब-आधारित पोर्टलों, डेटा एनालिटिक्स, निगरानी प्रणालियों या प्रबंधन सूचना प्रणालियों के विकास, कार्यान्वयन, रखरखाव या सहायता से संबंधित कार्य से है।

Ø इस खरीद प्रक्रिया में GFR, 2017 के नियम 161(iv) के अनुसार, केवल आदेश में परिभाषित 'Class-I Local Supplier' और 'Class-II Local Supplier' ही क्रय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली खरीद में बोली लगाने के पात्र होंगे।

'स्थानीय सामग्री' से आशय भारत में जोड़े गए मूल्य से है। जब तक नोडल मंत्रालय द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, स्थानीय सामग्री की गणना भारत में खरीदी गई वस्तु के कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) में से उस वस्तु में प्रयुक्त आयातित सामग्री के मूल्य (सभी सीमा शुल्क सहित) को घटाकर प्राप्त राशि को कुल मूल्य के अनुपात के रूप में, प्रतिशत में की जाएगी।

'Class-I Local Supplier' से आशय ऐसे आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता से है, जिसकी खरीद के लिए प्रस्तावित वस्तुओं, सेवाओं या कार्यों में स्थानीय सामग्री 50% या उससे अधिक हो, जैसा कि उक्त आदेश के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

'Class-II Local Supplier' से आशय ऐसे आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता से है, जिसकी खरीद के लिए प्रस्तावित वस्तुओं, सेवाओं या कार्यों में स्थानीय सामग्री 20% से अधिक लेकिन 50% से कम हो, जैसा कि उक्त आदेश के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

'L1' से आशय निविदा, बोली प्रक्रिया अथवा अन्य खरीद आमंत्रण में प्राप्त सबसे कम निविदा/सबसे कम बोली/सबसे कम कोटेशन से है, जिसे निविदा अथवा अन्य खरीद आमंत्रण में निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

'खरीद वरीयता का मार्जिन' से आशय उस अधिकतम सीमा से है, जिसके अंतर्गत 'Class-I Local Supplier' द्वारा उद्धृत मूल्य, खरीद वरीयता प्रदान करने के उद्देश्य से L1 से अधिक हो सकता है।

स्टार्टअप एवं सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए पूर्व अनुभव एवं पूर्व कारोबार संबंधी मानदंडों में छूट:

- यदि बोलीदाता, MSME नियमों के अंतर्गत नवीनतम परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म या लघु उद्यम है, तो उसे बोलीदाता कारोबार और अनुभव मानदंड की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता कारोबार/अनुभव संबंधी मानदंडों से छूट का दावा करता है, तो उसे अपने प्रस्ताव के साथ निविदा में उल्लिखित वस्तु के लिए MSE के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पंजीकरण का प्रकार/विवरण तथा उसकी वैधता और पंजीकरण की तारीख दर्शाई गई हो।
- यदि बोलीदाता स्टार्टअप है, तो उसे बोलीदाता कारोबार और अनुभव मानदंड की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता कारोबार/अनुभव संबंधी मानदंडों से छूट का दावा करता है, तो छूट के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करने वाले सहायक दस्तावेज खरीदार द्वारा मूल्यांकन हेतु अपलोड करना आवश्यक होगा।
- **केवल पात्रता संबंधी छूट, तकनीकी अंक नहीं**

  स्टार्टअप तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs) को GFR, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कारोबार (टर्नओवर) एवं पूर्व अनुभव की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी, **बशर्ते वे गुणवत्ता एवं तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करते हों।**

उपर्युक्त में से किसी भी आवश्यक दस्तावेज को GeM पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी तथा बोलीदाता को तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचारार्थ नहीं लिया जाएगा।

बोली मूल्यांकन मानदंड

चरण 1: पूर्व-योग्यता

1. बोलीदाता के लिए प्रत्येक पूर्व-योग्यता शर्त **अनिवार्य** है। किसी एक शर्त को पूरा न करने पर बोलीदाता अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. बोलीदाताओं को पूर्व-योग्यता मानदंड के आधार पर उनकी योग्यता/अयोग्यता के बारे में सूचित किया जाएगा।

चरण 2: तकनीकी मूल्यांकन (100 अंक)

अनुलग्नक -III

चरण 3: वित्तीय मूल्यांकन

1. पूर्व-योग्यता प्राप्त बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ निर्धारित तारीख एवं समय पर खोली जाएँगी। यह देखा जाएगा कि वित्तीय बोली मूल निविदा आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। जो बोली पर्याप्त रूप से अनुरूप नहीं होगी, उसे महानियंत्रक कार्यालय के विवेकानुसार अयोग्य किया जा सकता है।
2. बोली मूल्य में सभी कर, शुल्क, लेवी आदि शामिल होंगे, GST को छोड़कर। सभी कीमतें केवल भारतीय रुपये में दी जानी हैं। बोलीदाता को निविदा के techno-financial भाग में GST की दर भी बतानी होगी।
3. कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. गणितीय त्रुटियों को निम्न प्रकार सुधारा जाएगा:
   क) "यदि प्रति इकाई मूल्य और मात्रा के गुणनफल से निकले कुल मूल्य में अंतर है, तो प्रति इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को उसके अनुसार सुधारा जाएगा।
   ख) यदि शब्दों में लिखी राशि और अंकों में लिखी राशि में अंतर है, तो शब्दों में लिखी राशि मान्य होगी।"
5. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उन्हें सामान्यीकृत वित्तीय अंक प्रदान किए जाएंगे। QCBS मूल्यांकन के अंतर्गत उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता को H1 के रूप में रैंक किया जाएगा तथा उसे अनुबंध प्रदान किए जाने के लिए अनुशंसित किया जाएगा।
6. सबसे कम वित्तीय प्रस्ताव (FPMin) को 100 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा अन्य सभी वित्तीय प्रस्तावों को आनुपातिक आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। वित्तीय प्रस्तावों के वित्तीय अंक (SF) की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: SF = 100 × FPMin / FP

   जहाँ:

   SF = विचाराधीन प्रस्ताव का वित्तीय अंक, FPMin = सबसे कम वित्तीय प्रस्ताव तथा

   FP = विचाराधीन प्रस्ताव की कीमत

मूल्यांकन मानदंड

अंतिम संयुक्त अंक की गणना

i. तकनीकी प्रस्ताव को 70% भारांक तथा वित्तीय प्रस्ताव को 30% भारांक प्रदान किया जाएगा।

ii. अंतिम संयुक्त अंक (S) की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: S = ST × 0.7 + SF × 0.3

जहाँ: S = अंतिम संयुक्त अंक, ST = तकनीकी अंक तथा SF = वित्तीय अंक

iii. उच्चतम अंतिम संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को कार्य प्रदान किया जाएगा।

iv. किसी विक्रेता द्वारा एक बार उद्धृत की गई दर को अनुबंध अवधि के दौरान बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

v. उपर्युक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रस्तावों के मूल्यांकन में सहायता के लिए महानियंत्रक अपने विवेकाधिकार से किसी भी आवेदक से उसके प्रस्ताव के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। ऐसा स्पष्टीकरण मूल्यांकन के दौरान निर्धारित समय के अनुसार उसी दिन या अधिकतम अगले दिन प्रस्तुत किया जाना होगा। स्पष्टीकरण के लिए किया गया कोई भी अनुरोध तथा उसके संबंध में दिए गए सभी स्पष्टीकरण लिखित रूप में होंगे।

vi. यदि कोई आवेदक महानियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुरोध में निर्धारित तारीख और समय के भीतर मांगा गया स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है।

6. भुगतान की शर्तें एवं माइलस्टोन:

भुगतान महानियंत्रक कार्यालय द्वारा अनुमोदित माइलस्टोन के आधार पर किया जाएगा।
परिनिर्धारित हर्जाना (Liquidated Damages):

- प्रत्येक सप्ताह की देरी के लिए **0.5%**
- अधिकतम **5% अनुबंध मूल्य** तक (करों को छोड़कर)
- LD शुल्क पर GST अतिरिक्त रूप से लागू होगा।

क्र. सं.	वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल हेतु माइलस्टोन	भुगतान का प्रतिशत
1	वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (SRS) का अनुमोदन	कुल लागत का 5%
2	महानियंत्रक कार्यालय से वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल के डिजाइन, जिसमें UI/UX शामिल है, का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन	कुल लागत का 5%
3	वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल, एडमिन पैनल, यूजर डैशबोर्ड, APIs तथा वर्कफ्लो मॉड्यूल्स का 100% विकास एवं कॉन्फ़िगरेशन	कुल लागत का 20%
4	मौजूदा वित्तीय डेटा, दस्तावेजों, अटैचमेंट्स तथा संबंधित सामग्री का नए वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल में माइग्रेशन	कुल लागत का 5%
5	GIGW 3.0 अनुपालन, सुरक्षा ऑडिट स्वीकृति, STQC अनुपालन (यदि लागू हो) तथा वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल के लिए भेद्यता मूल्यांकन	कुल लागत का 10%

क्र. सं.	वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल हेतु माइलस्टोन	भुगतान का प्रतिशत
6	महानियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण साइन-ऑफ तथा यूजर मैनुअल, एडमिन मैनुअल, तकनीकी दस्तावेजीकरण एवं Go-Live से पूर्व सोर्स कोड प्रस्तुत करना	कुल लागत का 5%
7	वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल, APIs, यूजर/एडमिन पोर्टल तथा एकीकृत सेवाओं का Go-Live	कुल लागत का 10%
8	वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल का सुरक्षा ऑडिट एवं प्रमाणन + रखरखाव एवं सहायता सेवाएं – प्रथम वर्ष *(कुल लागत के 2.5% का त्रैमासिक भुगतान)*	कुल लागत का 10%
9	वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल का सुरक्षा ऑडिट एवं प्रमाणन + रखरखाव एवं सहायता सेवाएं – द्वितीय वर्ष *(कुल लागत के 2.5% का त्रैमासिक भुगतान)*	कुल लागत का 10%
10	वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल का सुरक्षा ऑडिट एवं प्रमाणन + रखरखाव एवं सहायता सेवाएं – तृतीय वर्ष *(कुल लागत के 2.5% का त्रैमासिक भुगतान)*	कुल लागत का 10%
11	Exit Management, डेटा हस्तांतरण, सोर्स कोड हस्तांतरण, ज्ञान हस्तांतरण एवं Transition Support	कुल लागत का 10%

7. कार्य का दायरा

एकीकृत केंद्रीकृत वित्त, बजट आवंटन एवं व्यय प्रबंधन प्रणाली के कार्य के विस्तृत दायरे में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

1. आवश्यकता विश्लेषण एवं प्रणाली अध्ययन

- महानियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी 14+ कार्यालयों को शामिल करते हुए विस्तृत आवश्यकता-संग्रहण सत्र आयोजित करना।
- वर्तमान वित्तीय कार्यप्रवाहों, मैनुअल प्रक्रियाओं, निधि आवंटन प्रक्रियाओं तथा व्यय की निगरानी/ट्रैकिंग की व्यवस्थाओं का अध्ययन करना।
- सभी कार्यात्मक मॉड्यूलों को सम्मिलित करते हुए सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशन (SRS) दस्तावेज तैयार करना।
- कार्यप्रवाह, एस्केलेशन मैट्रिक्स, रिपोर्ट, डैशबोर्ड तथा एकीकरण को अंतिम रूप देना।
- विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व महानियंत्रक कार्यालय से SRS का अनुमोदन प्राप्त करना।

2. डिजाइन एवं विकास

बोलीदाता द्वारा एक व्यापक वेब-आधारित एकीकृत केंद्रीकृत वित्त, बजट आवंटन एवं व्यय प्रबंधन प्रणाली का डिजाइन एवं विकास किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल होंगे:

क. डायरी एवं प्राप्ति प्रबंधन मॉड्यूल

एक केंद्रीकृत डिजिटल डायरी प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएँ होंगी:

- डीईओ-आधारित डायरी प्रविष्टि, जिसमें विवरण शामिल होंगे: डायरी संख्या, ई-ऑफिस डायरी संख्या, प्राप्ति की तारीख, कार्यालय का नाम, दावेदार/विक्रेता का नाम, दावे की प्रकृति, दावा की गई राशि, टिप्पणियाँ, सहायक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा
- कार्यालय के अनुसार एवं वर्ष-वार क्रमांकन के साथ विशिष्ट डायरी संख्या का स्वचालित सृजन।
- खोज, ट्रैकिंग तथा दावे के जीवन-चक्र की निगरानी की सुविधा।
- सभी कार्यालयों की लंबित देयताओं की वास्तविक समय में दृश्यता।
- चालान, बिल तथा प्रतिपूर्ति दावों के दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा।

ख. निधि मांग एवं निधि आवंटन मॉड्यूल

देयता-आधारित निधि मांग एवं केंद्रीकृत आवंटन मॉड्यूल विकसित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएँ होंगी:

- डीडीओ द्वारा दावों को सही वस्तु शीर्ष तथा अपेक्षित भुगतान माह के साथ टैग करना।
- कार्यालय के अनुसार, शीर्ष-वार तथा माह-वार अनुमानित देयताओं का स्वचालित सृजन।
- निधि मांग तैयार करने की मैनुअल प्रक्रिया को समाप्त करना।
- मुख्यालय वित्त प्रभाग द्वारा केंद्रीकृत जांच/छंटाई कार्यप्रवाह।

- कार्यालय, वस्तु शीर्ष, राशि, वित्तीय वर्ष तथा संदर्भ संख्या के विवरण सहित प्रारूप निधि आवंटन आदेश का स्वचालित सृजन।
- डिजिटल निधि आवंटन तथा कार्यालय के शेष में उसका स्वचालित प्रतिबिंबन।
- कार्यालय के अनुसार एवं शीर्ष-वार आवंटन।
- अनुपूरक आवंटन।
- पुनर्विनियोजन कार्यप्रवाह।
- देयता पूर्वानुमान।
- निधि उपयोग की निगरानी।

ग. व्यय एवं भुगतान प्रबंधन मॉड्यूल

निम्नलिखित सुविधाओं सहित एंड-टू-एंड व्यय प्रसंस्करण प्रणाली विकसित की जाएगी:

- बजट की उपलब्धता के सत्यापन सहित डीडीओ अनुमोदन कार्यप्रवाह।
- डीडीओ के अनुमोदन के पश्चात बिल संख्या/वाउचर संख्या, स्वीकृति आदेश तथा बिल का स्वचालित सृजन।
- एक ही बिल में अनेक लाभार्थियों को शामिल करने तथा लाभार्थी-वार मैपिंग की सुविधा।
- बिल सारांश एवं वाउचर रजिस्टर तैयार करने तथा उन्हें PDF/Excel में निर्यात करने की सुविधा।
- PFMS भुगतान संबंधी अद्यतन विवरण दर्ज करना, जिसमें: PFMS बिल/CP संख्या, भुगतान की तारीख, भुगतान की गई राशि, UTR/लेन-देन संख्या, भुगतान की स्थिति
- संबंधित कार्यालय, वस्तु शीर्ष, माह तथा वित्तीय वर्ष के अंतर्गत व्यय की स्वचालित बुकिंग।
- प्रत्यक्ष डीडीओ भुगतान कार्यप्रवाह तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय भुगतान कार्यप्रवाह, दोनों के लिए सहायता, जिसमें बिल अग्रेषण, स्थिति की ट्रैकिंग तथा मिलान शामिल होंगे।
- डायरी संख्या के आधार पर कालानुक्रमिक भुगतान कतार तथा ओवरराइड की सुविधा, जिसके लिए अनिवार्य टिप्पणियाँ दर्ज करनी होंगी।

घ. बजट नियंत्रण, विनियोजन एवं विचलन निगरानी मॉड्यूल

बजट नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित सुविधाएँ विकसित की जाएँगी:

- आवंटन बनाम व्यय तथा आवंटन बनाम देयताओं की वास्तविक समय में तुलना।
- इनके लिए स्वचालित विचलन अलर्ट: अधिक व्यय, अधिक देयताएँ, विलंबित भुगतान, अप्रयुक्त आवंटन, शीर्ष-वार बजट विचलन
- आवंटित राशि से अधिक व्यय करने पर प्रतिबंध।
- पुनर्विनियोजन कार्यप्रवाह की सुविधा।
- हेड-वार उपयोगिता रिपोर्ट।

ङ. डैशबोर्ड, एमआईएस एवं निगरानी मॉड्यूल

डैशबोर्ड एवं रिपोर्टिंग की निम्नलिखित सुविधाएँ विकसित की जाएँगी:

- कार्यालय डैशबोर्ड, जिसमें प्रदर्शित होंगे: लंबित डायरी प्रविष्टियाँ, जांचाधीन दावे, लंबित अनुमोदन, भुगतान हेतु लंबित बिल, भुगतान किए गए बिल, उपलब्ध शेष राशि, शीर्षवार व्यय-,

लंबित देयताएँ

- मुख्यालय डैशबोर्ड, जिसमें कार्यालय के अनुसार एवं शीर्ष :वार विवरण प्रदर्शित होंगे-निधि आवंटन, किया गया व्यय, लंबित देयताएँ, उपलब्ध शेष राशि, अधिक व्यय, अनुमानित आवश्यकताएँ
- निगरानी संबंधी सुविधाएँ :कार्यालयों का तुलनात्मक विश्लेषण, विलंबित भुगतान का विश्लेषण, बजट उपयोग की प्रवृत्तियाँ, व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण, देयता पूर्वानुमान।
- रिपोर्टें :कार्यालय के अनुसार एवं शीर्षवार व्यय रिपोर्ट-, लंबित देयता रिपोर्ट, बजट बनाम व्यय विवरण, संचयीप्रगतिशील व्यय रिपोर्ट/, आवंटन रजिस्टर, बिल रजिस्टर, वाउचर रजिस्टर, स्वीकृति आदेश रजिस्टर, PFMS मिलान रिपोर्ट, विचलन रिपोर्ट, मासिक वार्षिक/त्रैमासिक/ एमआईएस।
- सभी रिपोर्टों को PDF, Excel तथा CSV प्रारूप में निर्यात करने की सुविधा होगी।

3. उपयोगकर्ता भूमिकाएँ एवं अभिगम प्रबंधन

- प्रणाली में भूमिका आधारित अभिगम की-निम्नलिखित व्यवस्था होगी:
- डेटा एंट्री ऑपरेटर)DEO): डायरी प्रविष्टि तैयार करना, दस्तावेज अपलोड करना, दावे की स्थिति की ट्रैकिंग करना।
- डीलिंग असिस्टेंट :डीलिंग स्टाफ/दावों की जांच करना, देयतास्वीकार्यता का सत्यापन करना/, स्वीकार्य राशि की अनुशंसा करना।
- DDO लॉगिन :दावों का अनुमोदनअस्वीकृति/, बिलवाउचर का सृजन/, स्वीकृति आदेश का सृजन, PFMS अद्यतन करना, व्यय की निगरानी करना।
- मुख्यालय वित्त प्रभाग :सभी कार्यालयों की केंद्रीकृत निगरानी, निधि आवंटन का अनुमोदन, समेकित MIS तैयार करना।
- प्रणाली प्रशासक :उपयोगकर्ता प्रबंधन, प्रणाली का विन्यास, ऑडिट लॉग तक अभिगम।

4. शामिल किए जाने वाले कार्यालय

यह मॉड्यूल महानियंत्रक कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत सभी कार्यालयों को शामिल करेगा, जो निम्नलिखित हैं:

- पेटेंट कार्यालय दिल्ली (POD), पेटेंट कार्यालय मुंबई (POM), पेटेंट कार्यालय कोलकाता (POK), पेटेंट कार्यालय चेन्नई (POC)
- व्यापार चिह्न रजिस्ट्री दिल्ली (TMRD), व्यापार चिह्न रजिस्ट्री मुंबई (TMRM), व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कोलकाता (TMRK), व्यापार चिह्न रजिस्ट्री चेन्नई (TMRC), व्यापार चिह्न रजिस्ट्री अहमदाबाद (TMRA)
- राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (RGNIIPM), नागपुर
- भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, चेन्नई

- प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, दिल्ली
- महानियंत्रक कार्यालय एवं वेतन एवं लेखा कार्यालय
- महानियंत्रक कार्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अतिरिक्त कार्यालय/इकाई।

5. राजस्व एवं पूंजीगत मदों का कवरेज

मॉड्यूल में महानियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत लागू सभी संबंधित मदों के अंतर्गत आवंटन, विनियोजन, देयता ट्रैकिंग, व्यय बुकिंग तथा रिपोर्टिंग की सुविधा होगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: वेतन, मजदूरी, चिकित्सा उपचार, भत्ते, एलटीसी, प्रशिक्षण व्यय, घरेलू/विदेशी यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, किराया एवं कर, मुद्रण एवं प्रकाशन, डिजिटल उपकरण, सामग्री एवं आपूर्ति, व्यावसायिक सेवाएँ, मरम्मत एवं रखरखाव, मशीनरी एवं उपकरण संबंधी पूंजीगत मदें, ICT उपकरण, अवसंरचना परिसंपत्तियाँ, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, तथा महानियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत लागू अन्य सभी मदें।

6. अनुपालन एवं सुरक्षा

- भूमिका-आधारित अभिगम तथा ऑडिट लॉगिंग तंत्र का कार्यान्वयन।
- डेटा को विश्राम अवस्था (Data at Rest) तथा संचरण के दौरान (Data in Transit) एन्क्रिप्ट करना।
- CERT-In सहित भारत सरकार के सुरक्षा दिशा-निर्देशों का अनुपालन।
- डेटा प्रतिधारण, अभिलेखीकरण तथा डेटा हटाने (Purging) की नीतियों का कार्यान्वयन।
- CERT-In द्वारा सूचीबद्ध/पैनलबद्ध ऑडिटर से एप्लिकेशन ऑडिट प्रमाण-पत्र तथा VA Clearance Certificate प्राप्त करना।
- GIGW 3.0 का अनुपालन तथा भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के लिए बहुभाषी सहायता।
- सभी एप्लिकेशन अभिगम के लिए SSL/TLS का कार्यान्वयन।

7. क्लाउड होस्टिंग

एप्लिकेशन को बोलीदाता द्वारा MeitY-empanelled Cloud Platform पर होस्ट किया जाएगा तथा सभी लागू MeitY दिशा-निर्देशों और क्लाउड सेवाओं से संबंधित आईटी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रशिक्षण एवं सहायता

- DEO, डीलिंग स्टाफ, DDO, मुख्यालय के वित्त अधिकारियों तथा सिस्टम प्रशासकों के लिए उपयोगकर्ता प्रशिक्षण सत्र एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- हिंदी एवं अंग्रेजी में उपयोगकर्ता मैनुअल, SOP तथा तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध कराना।
- अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए हेल्पडेस्क सहायता स्थापित करना।

9. स्रोत कोड एवं बौद्धिक संपदा

बोलीदाता द्वारा पूर्ण स्रोत कोड, एक्जीक्यूटेबल फाइलें, तकनीकी दस्तावेज, डेटाबेस स्कीमा, APIs, एकीकरण संबंधी दस्तावेज, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें उपलब्ध/हस्तांतरित किए जाएंगे। विकसित समाधान से संबंधित सभी बौद्धिक संपदा अधिकार महानियंत्रक कार्यालय में निहित होंगे।

10. एग्जिट मैनेजमेंट एवं ट्रांजिशन सपोर्ट

बोलीदाता द्वारा विस्तृत Exit Management Plan उपलब्ध कराया जाएगा, नॉलेज ट्रांसफर सत्र आयोजित किए जाएंगे, परियोजना/सेवा की समाप्ति से पूर्व न्यूनतम **03 माह** तक ट्रांजिशन सहायता प्रदान की जाएगी, स्रोत कोड, डेटाबेस, फाइल स्टोरेज, कॉन्फ़िगरेशन, दस्तावेज, बैकअप, सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा परिचालन प्रक्रियाएँ हस्तांतरित की जाएँगी।

11. परियोजना की समय-सीमा

कार्यादेश जारी होने की तारीख से 06 माह के भीतर विकास, एकीकरण, परीक्षण, सुरक्षा ऑडिट, SSL/TLS कार्यान्वयन, परिनियोजन तथा Go-Live सहित संपूर्ण परियोजना को पूरा किया जाना होगा।

12. तीन वर्ष का रखरखाव एवं तकनीकी सहायता

बोलीदाता द्वारा सफल Go-Live की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं हेतु समर्पित Single Point of Contact (Offsite) उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी सहायता ई-मेल, फोन, रिमोट लॉगिन और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से भी प्रदान की जाएगी।

8. अस्वीकरण

बौद्धिक संपदा कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति बोलीदाता की ओर से हुई किसी भी चूक अथवा त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अनुलग्नक – I

BOM

क- विकास, कार्यन्वयन एवं सहयोग

क्र. सं.	घटक	विवरण	मात्रा / इकाई	राशि (₹)
1	कोर सिस्टम	एकीकृत केंद्रीकृत वित्त, बजट आवंटन एवं व्यय प्रबंधन प्रणाली का डिजाइन, विकास एवं कार्यान्वयन (वेब एप्लिकेशन, बहु-कार्यालय सहायता, भूमिका-आधारित डैशबोर्ड, डायरी प्रबंधन, निधि मांग, व्यय प्रबंधन, बजट नियंत्रण, MIS एवं रिपोर्ट)। Go-Live की तारीख से छह माह की अवधि के लिए एक फुल-स्टैक डेवलपर की तैनाती की जाएगी, जो एप्लिकेशन सहायता प्रदान करेगा तथा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन, उन्नयन, बग सुधार एवं अन्य संशोधन लागू करेगा। इससे एप्लिकेशन का सुचारु संचालन, समस्याओं का समयबद्ध समाधान तथा कार्यान्वयन के पश्चात सहायता अवधि के दौरान परिवर्तन अनुरोधों का समावेशन सुनिश्चित होगा।	1 लॉट	
2	सुरक्षा ऑडिट	CERT-In द्वारा पैनलबद्ध ऑडिटर के माध्यम से VAPT (Vulnerability Assessment & Penetration Testing) — Go-Live से पूर्व परीक्षण, जिसमें एक चरण का सुधार एवं पुनः परीक्षण शामिल होगा।	1 चक्र	
वर्ष 1 के लिए कुल देय राशि				

ख- वार्षिक रखरखाव सहायता (AMS)

क्र. सं.	घटक	मात्रा / इकाई	राशि (₹)
3	वार्षिक रखरखाव सहायता – प्रथम वर्ष	1 वर्ष	
4	वार्षिक रखरखाव सहायता – द्वितीय वर्ष	1 वर्ष	
5	वार्षिक रखरखाव सहायता – तृतीय वर्ष	1 वर्ष	
AMS के लिए कुल देय राशि			

ग- MeitY-Empanelled Data Centre पर क्लाउड होस्टिंग (वास्तविक लागत के आधार पर पास-थ्रू)

क्र. सं.	घटक / वर्ष	वार्षिक शुल्क
6	MeitY द्वारा पैनलबद्ध डेटा सेंटर पर होस्टिंग — प्रथम वर्ष (एप्लिकेशन VMs, DB Instance, SSD स्टोरेज, बैकअप, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, लोड बैलेंसर, WAF, DDoS सुरक्षा, मॉनिटरिंग एवं सहायता)	
7	MeitY द्वारा पैनलबद्ध डेटा सेंटर पर होस्टिंग — द्वितीय वर्ष	
8	MeitY द्वारा पैनलबद्ध डेटा सेंटर पर होस्टिंग — तृतीय वर्ष	
अनुमानित होस्टिंग लागत — 3 वर्ष (वास्तविक लागत के आधार पर देय)		

घ- वाणिज्यिक विवरण का सारांश

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹)
क.	डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, सुरक्षा ऑडिट एवं गो-लाइव	
ख.	ऑफसाइट वार्षिक अनुरक्षण सहायता (3 वर्ष)	
ग.	MeitY द्वारा पैनलबद्ध क्लाउड डेटा सेंटर पर होस्टिंग (3 वर्ष)	
कुल		
GST (18%)		
कुल मूल्य (GST सहित)		

अनुलग्नक – II

बोलीदाता द्वारा घोषणा (कंपनी के लेटरहेड पर)

सेवा में,

आईटी कार्यालय,

बौद्धिक संपदा भवन,

द्वारका, सेक्टर-14, नई दिल्ली-110078

फर्म/बोलीदाता का नाम:
बोलीदाता का नाम:

महानियंत्रक कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत आईटी कार्यालय, नई दिल्ली में **"वित्त प्रबंधन मॉड्यूल का विकास एवं अनुरक्षण"**

महोदय/महोदया,

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पूर्व मैंने/हमने इसमें निहित सभी नियमों एवं शर्तों तथा निर्देशों को पढ़ लिया है और उन्हें पूर्णतः समझ लिया है तथा उक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए स्वयं को/स्वयं को और अपने संगठन को बाध्य करता/करते हूँ/हैं।
2. मैं/हम एतद द्वारा "बोलीदाता के इस प्रपत्र के ज्ञापन" में उल्लिखित राशि की बयाना राशि Controller of Patents के पक्ष में, "बोली" में उल्लिखित स्थान पर देय, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/हम इसके साथ बोली की शर्त में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति पत्र भी संलग्न कर रहा/रहे हूँ/हैं, जिसे "अनुलग्नक-IV" के रूप में संदर्भित किया गया है।
4. यदि मैं/हम आशय पत्र जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ करने में विफल रहता/रहते हूँ/हैं और/या अनुबंध के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता/रहते हूँ/हैं और/या अनुबंध के अनुसार कार्य-निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता/रहते हूँ/हैं, तो मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि आईटी कार्यालय (जो महानियंत्रक कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत है), नई दिल्ली को किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आशय पत्र को निरस्त करने तथा ऊपर उल्लिखित बयाना राशि को जब्त करने की स्वतंत्रता होगी।

दिनांक: ____________________________

बोलीदाता के हस्ताक्षर: ________________________

नाम: ______________________________________

पता: ______________________________________

बोलीदाता की मुहर: ___________________________

साक्षी के हस्ताक्षर: ____________________________

नाम: ___________________________________

व्यवसाय: ________________________________

अनुलग्नक – III

तकनीकी मूल्यांकन मानदंड एवं अंक प्रदान करने की योजना

धारा 5 में निर्धारित **पूर्व-योग्यता मानदंड** को पूरा करने वाले बोलीदाता ही तकनीकी मूल्यांकन हेतु पात्र होंगे।

तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा:

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मूल्यांकन मानदंड</th><th>सहायक दस्तावेज़</th><th>अधिकतम अंक</th><th>कट-ऑफ अंक</th></tr>
<tr><td colspan="4">भाग A – प्रासंगिक अनुभव एवं पूर्व प्रदर्शन (कुल 35 अंक)</td><td></td></tr>
<tr><td>A.1.</td><td>समान परियोजनाओं का अनुभव:
केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्त प्रबंधन मॉड्यूल और/या समान सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन, अनुरक्षण एवं सहायता में पिछले पाँच (05) वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक) का अनुभव।
• न्यूनतम 03 पात्र परियोजनाएँ (प्रत्येक ₹25 लाख या उससे अधिक) – 5 अंक।
• प्रत्येक अतिरिक्त पात्र परियोजना के लिए 5 अंक, अधिकतम 20 अंकों तक।</td><td>ग्राहक द्वारा जारी परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र;
या
कार्यादेश के साथ स्व-प्रमाणित पूर्णता प्रमाण-पत्र।</td><td>20</td><td rowspan="2">21</td></tr>
<tr><td>A.2.</td><td>संगठनात्मक अनुभव
भारत में सॉफ्टवेयर विकास/आईटी सेवाएँ प्रदान करने में बोलीदाता का अनुभव।
• 5 वर्ष तक का अनुभव – 5 अंक।
• प्रत्येक अतिरिक्त पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक, अधिकतम 15 अंकों तक।</td><td>निगमन/पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्यादेश/परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र।</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="4">भाग B – वित्तीय सुदृढ़ता एवं गुणवत्ता प्रक्रिया परिपक्वता (कुल 15 अंक)</td><td></td></tr>
</table>

B.1	**औसत वार्षिक कारोबार (AAT)** पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के दौरान सॉफ्टवेयर/एप्लिकेशन विकास अथवा समान आईटी सेवाओं से प्राप्त औसत वार्षिक कारोबार (AAT)। • ₹45 लाख से अधिक – 10 अंक • ₹35 लाख से अधिक तथा ₹45 लाख तक – 5 अंक • ₹25 लाख से ₹35 लाख तक – 3 अंक	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एवं लाभ-हानि खाता अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।	10	7
B.2	**गुणवत्ता प्रक्रिया परिपक्वता (CMMI प्रमाणन):** • CMMI Level-3 से अधिक – **2 अंक** • CMMI Maturity Level-4 – **3 अंक** • CMMI Maturity Level-5 – **5 अंक**	CMMI Institute द्वारा जारी वैध CMMI Maturity Level प्रमाण-पत्र की प्रति।	5	

C.	**प्रमुख कार्मिक एवं टीम की क्षमता:** प्रमुख कार्मिक एवं टीम की क्षमता में निम्नलिखित आईटी एवं परियोजना संबंधी पेशेवर शामिल होंगे: (आईटी एवं परियोजना पेशेवर, परियोजना प्रबंधक, बिजनेस एनालिस्ट, UI/UX डेवलपर, API इंटीग्रेशन विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, QA इंजीनियर, सुरक्षा विशेषज्ञ, क्लाउड इंजीनियर) 30 से अधिक (उदाहरणार्थ 31–40) — 5 अंक 41–50 — 6 अंक 51–60 — 7 अंक 61–70 — 8 अंक 71–80 — 9 अंक 81 एवं उससे अधिक — 10 अंक (अधिकतम)	ऐसे सभी कार्मिकों की सूची, बोलीदाता के लेटरहेड पर, जिसमें कर्मचारी आईडी, EPFO विवरण, वेतन रोल आदि का विवरण शामिल हो।	10	5
D.	**तकनीकी प्रस्तुतीकरण** में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए: • कार्य क्षेत्र एवं परियोजना की आवश्यकताओं की समझ • प्रस्तावित समाधान, प्रदर्शन एवं समग्र कार्यान्वयन पद्धति • सिस्टम आर्किटेक्चर, सुरक्षा ढाँचा एवं स्केलेबिलिटी • गुणवत्ता आश्वासन, आंतरिक समीक्षा तंत्र एवं परीक्षण रणनीति • परियोजना निष्पादन योजना	PPT की PDF फाइल प्रस्तुत की जानी है।	40	27
	कुल		100	60

टिप्पणी:

1. तकनीकी मूल्यांकन इस अनुलग्नक में निर्दिष्ट मूल्यांकन मापदंडों एवं अंक प्रदान करने की योजना के आधार पर ही किया जाएगा।
2. बोलीदाता को **प्रत्येक मूल्यांकन मापदंड के सामने निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक** प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी मूल्यांकन मापदंड में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने में विफल रहने पर बोलीदाता को **तकनीकी रूप से गैर-उत्तरदायी** माना जाएगा।
3. प्रत्येक मापदंड के लिए निर्धारित अर्हक अंकों के अतिरिक्त, वित्तीय बोली खोलने के लिए पात्र होने हेतु बोलीदाता को **100 में से कम से कम 60 (साठ) अंक का समग्र तकनीकी स्कोर** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. केवल तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी।
5. अंतिम संयुक्त स्कोर **गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (QCBS)** पद्धति के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा, जिसमें **GeM बोली विन्यास** में निर्दिष्ट तकनीकी एवं वित्तीय भारांक लागू किए जाएँगे।
6. अंक केवल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष किए गए तकनीकी प्रस्तुतीकरण के आधार पर ही प्रदान किए जाएँगे। निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किए गए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. तकनीकी अंक प्रदान करने के लिए केवल ऐसे पूर्ण किए गए प्रोजेक्ट पर विचार किया जाएगा, जो पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा कार्यादेश तथा स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हों।
8. तकनीकी मूल्यांकन समिति को बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज, प्रमाण-पत्र अथवा सूचना की प्रामाणिकता को जारीकर्ता प्राधिकारी अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्रोत से सत्यापित करने का अधिकार होगा। झूठी, जाली या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर बोली दस्तावेज़ के प्रावधानों के अनुसार बोली अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।
9. **"समान कार्य"** से तात्पर्य भारत सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों के लिए वित्त प्रबंधन प्रणालियों, ERP प्रणालियों, बजट प्रबंधन प्रणालियों, वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्रणालियों, ई-गवर्नेंस एप्लिकेशनों, एंटरप्राइज एप्लिकेशनों, लेखांकन प्रणालियों, डैशबोर्ड, वेब-आधारित पोर्टलों, डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, निगरानी प्रणालियों अथवा प्रबंधन सूचना प्रणालियों का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन, अनुरक्षण या सहायता प्रदान करना है।

अनुलग्नक – IV
अनुपालन जाँच-सूची

बोलीदाता का नाम: ____

बोली का शीर्षक: वित्त प्रबंधन मॉड्यूल का विकास एवं अनुरक्षण

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं	संलग्न सहायक दस्तावेज़
1	क्या बोलीदाता भारतीय मूल का/पंजीकृत भारतीय निकाय है तथा उसने निगमन प्रमाण-पत्र/पंजीकरण प्रमाण-पत्र, GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं PAN कार्ड की प्रति संलग्न की है?		
2	क्या बोलीदाता ने अनुलग्नक-II (Annexure-II) के अनुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है?		
3	क्या बोलीदाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम-से-कम ₹25 लाख का औसत वार्षिक कारोबार तथा सकारात्मक निवल संपत्ति (Positive Net Worth) है और क्या उसने अपेक्षित CA प्रमाण-पत्र/कारोबार प्रमाण-पत्र संलग्न किया है?		
4	क्या बोलीदाता को पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान तथा बोली प्रस्तुत करने की तिथि तक किसी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/PSU/स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों के लिए ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं किया गया है तथा क्या उसने अपेक्षित स्व-घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है?		
5	क्या बोलीदाता के पास निविदा में निर्दिष्ट अनुसार सरकार/PSU संगठनों के लिए वित्त प्रबंधन मॉड्यूल के विकास एवं अनुरक्षण और/या समान परियोजनाओं का अपेक्षित अनुभव है तथा क्या उसने संबंधित खरीद आदेश/अनुबंध/पूर्णता प्रमाण-पत्र/संतोषजनक कार्य-निष्पादन प्रमाण-पत्र संलग्न किए हैं?		
6	क्या बोलीदाता ने भारत में सॉफ्टवेयर विकास/आईटी सेवाएँ प्रदान करने में पाँच वर्ष से अधिक के निरंतर अनुभव को दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण (निगमन/पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्यादेश/पूर्णता प्रमाण-पत्र) संलग्न किए हैं?		
7	क्या बोलीदाता ने IT पेशेवरों, परियोजना प्रबंधकों, बिजनेस एनालिस्ट, UI/UX डेवलपर्स, API इंटीग्रेशन विशेषज्ञों, साइबर सुरक्षा पेशेवरों, QA		

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं	संलग्न सहायक दस्तावेज़
	इंजीनियरों, सुरक्षा विशेषज्ञों एवं क्लाउड इंजीनियरों की सूची प्रस्तुत की है, जिसमें कर्मचारी आईडी, पदनाम, EPFO/UAN संख्या एवं पेरोल विवरण दर्शाए गए हों तथा जिसे अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो?		
8	क्या बोलीदाता के पास वैध CMMI Level-3 (या उससे उच्च) – CMMI Institute द्वारा सत्यापित, ISO 9001:2015 तथा ISO 27001:2022 प्रमाणन हैं तथा क्या उसने उनकी प्रतियाँ संलग्न की हैं?		
9	क्या बोलीदाता ने CSP प्राधिकरण प्रमाण-पत्र तथा MeitY के पैनल में सूचीबद्ध होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है?		
10	क्या बोलीदाता ने लाभप्रदता संबंधी मानदंडों के अनुपालन को दर्शाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित लाभ-हानि विवरण/बैलेंस शीट/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
11	क्या बोलीदाता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का अनुपालन करने का वचन देता है तथा क्या उसने अनुलग्नक-V के अनुसार डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी वचनबद्धता प्रस्तुत की है?		
12	क्या बोलीदाता ने निविदा की सभी शर्तों एवं नियमों की विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त स्वीकृति प्रस्तुत की है तथा अनुबंध प्रदान किए जाने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सेवाएँ प्रारंभ करने की तैयारी की पुष्टि की है?		
13	क्या बोलीदाता ने ₹3.50 लाख की EMD जमा की है अथवा वैध छूट संबंधी दस्तावेज़ (MSE/DPIIT स्टार्टअप) संलग्न किए हैं?		
14	क्या बोलीदाता ने निविदा में निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को दर्शाने वाला Make in India अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है?		
15	क्या बोलीदाता अथवा साझेदारी फर्म/JV/कंसोर्टियम के मामले में कोई घटक साझेदार धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नैतिक अधमता अथवा आर्थिक अपराधों से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ है?		
16	क्या बोलीदाता अथवा साझेदारी फर्म/JV/कंसोर्टियम के मामले में कोई घटक साझेदार वर्तमान में किसी ग्राहक के साथ किसी विवाद/मध्यस्थता/सुलह-मध्यस्थता में संलग्न है? (लेटरहेड पर घोषणा-पत्र)		

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं	संलग्न सहायक दस्तावेज़
17	क्या बोलीदाता अथवा साझेदारी फर्म/JV/कंसोर्टियम के मामले में कोई घटक साझेदार का कोई पारिवारिक संबंध महानियंत्रक कार्यालय के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी के साथ है? (लेटरहेड पर घोषणा-पत्र)		
18	यदि बोलीदाता ऐसे देश से है जिसकी भारत के साथ स्थल सीमा साझा है, तो क्या बोलीदाता OM F. No. 6/18/2019-PPD, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है?		
19	क्या बोली के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त हैं तथा जहाँ लागू हो, क्या बोलीदाता ने प्राधिकरण पत्र/मुख्तारनामा संलग्न किया है?		
20	क्या बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य-क्षेत्र, तकनीकी विनिर्देशों, भुगतान शर्तों तथा अन्य सभी आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करता है?		
21	क्या बोलीदाता ने अनुलग्नक-III में निर्दिष्ट मापदंडों को शामिल करते हुए तकनीकी प्रस्तुतीकरण की PDF प्रति प्रस्तुत की है?		
22	क्या अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त हैं?		

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत की गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार **सत्य एवं सही** है। यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी गलत है अथवा तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण किया गया है, तो मुझे अपने प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर अथवा यदि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो अनुबंध को समाप्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: ___________________________

अनुलग्नक – V

डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी वचनबद्धता

(कंपनी के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

हम,_______________________________________(बोलीदाता/बोलीदाता का नाम), एतद्द्वारा यह वचन देते हैं कि परियोजना के निष्पादन के दौरान महानियंत्रक कार्यालय द्वारा साझा किए गए सभी डेटा, दस्तावेज़, अभिलेख, स्रोत कोड, सॉफ्टवेयर तथा सूचना को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसी किसी भी सूचना, डेटा अथवा दस्तावेज़ का किसी तृतीय पक्ष के साथ प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। हम यह वचन भी देते हैं कि डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे तथा भारत सरकार के लागू सुरक्षा दिशा-निर्देशों एवं मानकों का अनुपालन किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत विकसित किए गए सभी बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), स्रोत कोड, एप्लिकेशन, दस्तावेज़, डिलिवरेबल्स तथा संबंधित सामग्री एकमात्र महानियंत्रक कार्यालय की संपत्ति होंगे। अनुबंध के पूर्ण होने अथवा समाप्त किए जाने पर परियोजना से संबंधित सभी डेटा एवं दस्तावेज़ महानियंत्रक कार्यालय को सौंप दिए जाएंगे तथा हमारे द्वारा उनकी कोई प्रति अपने पास नहीं रखी जाएगी। गोपनीयता, सुरक्षा अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी दायित्वों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में हम उचित कानूनी एवं संविदात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

नाम: ____

पदनाम: ____

कंपनी की मुहर एवं हस्ताक्षर: _______________________